

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-0135-2767611

संख्या:- 2497 FP/UK/ROAD/12159/2015 देहरादून: दिनांक 18 मई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय,
(उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद-चम्पावत में मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.9208 हे० के सम्बन्ध में।
FP/UK/ROAD/12159/2015

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक
07-08-2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 07-08-2019 के सम्बन्ध में चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply, State Govt still not submitted reason of delay as reply of EDS dt 22-03-2016 was submitted on 28-10-2018. State Govt may submit clarification in this regard and submit the reason of delay in replying to this office EDS dt 22-03-2016.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सी०ए० हेतु सिविल भूमि का क्षेत्रफल पर्याप्त न होने तथा स्थल में वृक्ष होने के कारण राजस्व विभाग से अन्यत्र वृक्ष विहीन स्थल उपलब्ध कराने बावत् लगातार पत्राचार किया जाता रहा। तदोपरान्त जनपद चम्पावत में वृक्ष विहीन सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग द्वारा डुगाराबोंकू कं० नं० 21 में अवगत वनभूमि उपलब्ध कराये जाने पश्चात ही आपत्तियों का निराकरण कर पाना सम्भव हुआ। (संलग्नक-1)
2	In reply to point no-01 two NPV calculation sheet are uploaded/submitted but the detail provided online. State Govt may remove this discrepancy and submit the NPV calculation sheet providing same detail as provided in para 4 Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त संशोधित एन०पी०वी० की गणना को Form A part-I Additional information में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
3	In reply to point no -4, hard copy of tree enumeration list submitted in which it is found that total no of trees are 296 out of which 11 are in nap land but details of 296 instead of 285 found uploaded in para II. State Govt may upload the correct tree list at para 4 part II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि परियोजना में कुल आरक्षित-195 वृक्ष, सिविल भूमि-61 वृक्ष, तथा वन पंचायत भूमि में-29 वृक्ष अर्थात् कुल 285 प्रभावित हो रहे हैं। पेड़ों की संख्या को Part-2 में यथास्थान संशोधन कर अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
4	In reply to point no 07 village level committee (VLC) meeting proceeding of village Manch and Santola still not uploaded/submitted state Govt may submit/uploaded the VLC meeting proceeding for the said villages.	प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मंच एवं स्यूतोला एक ही ग्रामसभा के अन्तर्गत आते हैं, जो कि ग्रामसभा मंच के नाम से है। ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति एक साथ दी गयी है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)

5	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्राम एवं उपलब्ध रोड नेटवर्क को भी के0एम0एल0 फाईल पर अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि लाभान्वित होने वाले ग्रामों एवं existing road को के0एम0एल0 फाईल में अंकित कर अपलोड कर दिया गया है। प्रस्तावक विभाग को संशोधित KML File Soft copy में उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है इस कार्यालय में प्राप्त होने पर भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी।
---	---	---

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

L m m m m m

(डी0जे0के0 शर्मा) 16/5/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी